

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 1597/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 25-9-2023

सेवा में,

अधिशाली अभियंता,

निर्माण खण्ड,

लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 2.00 कि0मी0)
FP/UK/ROAD/151552/2022

सन्दर्भ - भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू0सी0पी0/06/51/2022/एफ0सी0/766 दिनांक 04.09.2023।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि नयी दरों पर जमा की जानी है। भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	Vth
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.7 (70%)
3. एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	14,36,670.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	1.08
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	15,51,604.00
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है0)	=	2.16
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर (प्रति है0)	=	448791.00
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 में)	=	9,69,388.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 25,20,992.00 (पच्चीस लाख बीस हजार नौ सौ बानवे रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1597/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।